



राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान
(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)
दुर्गापुरा, जयपुर-302018



डॉ. ए. एस. बलौदा
निदेशक

Phone: 0141-2550229 (O)
Fax: 0141-2550229 & 2550536
Email : director.rari@sknau.ac.in

क्रमांक एफ.9()श्रीकनकृषिवि/निदे.राकृअसं/स्था.॥/2022/3568 दिनांक:- 30.12.2022

कार्यालय आदेश

श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर के आदेश क्रमांक 761 दिनांक 08/12.07.2021 एवं आदेश के क्रम में राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुरा, जयपुर में स्थित अतिथि गृह में ठहरने वाले कार्मिकों (अतिथियों) के लिए लागू दरों को निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है:-

क.सं.	विवरण	नॉन ए.सी. (रु.)	ए.सी. (रु.)
1	राजस्थान राज्य स्थित समस्त कृषि विश्वविद्यालयों एवं राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (RAJUVAS) व भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कार्मिकों हेतु (कार्यालय उपयोग हेतु)	200/- प्रति व्यक्ति	400/- प्रति व्यक्ति
2	राजस्थान राज्य कृषि विश्वविद्यालयों एवं राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (RAJUVAS) व भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कार्मिकों के व्यक्तिगत कार्य हेतु।	300/- प्रति व्यक्ति	500/- प्रति व्यक्ति
3	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (सेवानिवृत्त कार्मिकों) राजस्थान राज्य स्थित समस्त कृषि विश्वविद्यालयों एवं राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (RAJUVAS) के पूर्व कुलपति/कुलसचिव/वित्त नियंत्रक (राज्य सरकार से प्रतिनियुक्ति पर) एवं अन्य विश्वविद्यालयों के कार्मिकों हेतु।	200/- प्रति व्यक्ति	400/- प्रति व्यक्ति
4	राज्य सरकार/केन्द्र सरकार व अन्य स्वयत्तशासी कार्मिकों के अतिथि गृह में ठहरने हेतु (कार्यालय उपयोग हेतु)	400/- प्रति व्यक्ति	500/- प्रति व्यक्ति
5	राज्य सरकार/केन्द्रीय सरकार तथा अन्य विश्वविद्यालयों के कार्मिकों हेतु (व्यक्तिगत कार्य हेतु)	450/- प्रति व्यक्ति	600/- प्रति व्यक्ति
6	निजी व्यक्तियों के अतिथि गृह में ठहरने हेतु।	500/- प्रति व्यक्ति	1000/- प्रति व्यक्ति
7	डोरमेट्री में ठहरने हेतु	100/- प्रति व्यक्ति	

उपरोक्त दरें दिनांक 01.01.2023 से प्रभावी होगी।

निदेशक